www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 19 मई 2019

दैनिक जागरण
धर्म मानव-जीवन की आचार-संहिता है

अनावश्यक आपत्ति

लोकसभा चुनाव नतीजे आने के ठीक पहले चुनाव आयोग के आयुक्तों में मतभेद की खबरें उनके बीच तनातनी के रूप में सामने आना इस संस्था की छवि के लिए ठीक नहीं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इससे क्षुब्ध बताए जाते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को लेकर जो फैसले लिए गए उनमें उनकी असहमति को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। वह इस हद तक रुष्ट हैं कि आयोग की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। पहली नजर में यह लगता है कि किसी फैसले में यदि किसी चुनाव आयुक्त की असहमति है तो वह दर्ज होनी ही चाहिए, लेकिन वास्तव में मामला यह है कि अशोक लवासा अपनी असहमति को फैसले का हिस्सा बनाकर उसे सार्वजनिक करना चाहते हैं। एक तरह से वह यह चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट वाली वह व्यवस्था लागू हो जिसके तहत यदि किसी तीन सदस्यीय पीठ में कोई एक न्यायाधीश शेष दो न्यायाधीशों के विचारों से अलग विचार रखता है तो फैसले में यह लिखा जाता है कि उन्होंने बहुमत के विपरीत ऐसा-ऐसा कहा। अशोक लवासा की मांग तब उचित कही जा सकती थी, जब पहले भी ऐसा होता रहा हो। आखिर जब पहले चुनाव आयोग की ओर से बहुमत से लिए गए फैसलों में असहमति जताने वाले आयुक्त की टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं बनती थी तो अब क्यों बननी चाहिए? समझना कठिन है कि अशोक लवासा एक नई परंपरा क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं? उनकी आपत्ति इसलिए अनावश्यक लगती है, क्योंकि किसी भी मामले में चुनाव आयुक्तों की ओर से जो भी फैसले लिए जाते हैं उनका निर्धारण बहुमत के आधार पर होता है और फैसले पर विचार करते समय किसने क्या कहा, इसका विवरण फाइलों का हिस्सा बनता है। जो असहमति किसी न किसी रूप में दर्ज होती ही है उसे सार्वजनिक करने की अपेक्षा क्यों? अशोक लवासा यह क्यों चाहते हैं कि देश-दुनिया को यह पता लगे कि बहुमत से लिए गए फैसलों में अल्पमत वाला विचार उनका था?

एक समय चुनाव आयोग में एक ही आयुक्त हुआ करता था। जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब उसे तीन सदस्यीय बनाने का फैसला किया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि आयोग कहीं अधिक नीर-क्षीर से ढंग से फैसला ले। टीएन शेषन के बाद चुनाव आयोग अपने तीन आयुक्तों के साथ प्रभावी ढंग से काम करता रहा और यदि कभी उनके बीच मतभेद रहे भी हों तो वे उस तरह सार्वजनिक नहीं हुए जैसे अब हुए हैं। किसी संस्था में मतभेद होना कोई खराब बात नहीं। खराब बात है मतभेदों को तूल देना। फिलहाल यही हो रहा है। चुनाव आयोग ही नहीं किसी भी संस्था के हित में यही है कि मतभेदों के बावजूद मिलजुलकर काम किया जाए। पता नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के स्पष्टीकरण के बाद चुनाव आयुक्त अशोक लवासा अपने रुख में नरमी लाते हैं या नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं कि वह अपनी असहमति को कुछ ज्यादा ही तूल देते हुए दिख रहे रहे हैं। कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को तो ऐसा करने से बचना ही चाहिए।

अंतिम चुनावी चुनौती

देशभर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान रविवार को संपन्न हो जाएगा और चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परंतु, सातवें व आखिरी चरण में चुनाव आयोग के लिए निर्बाध, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की चुनौती है, क्योंकि इससे पहले चरण दर चरण बंगाल में मतदान के दौरान जमकर हिंसा हुई है। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो को लेकर बवाल हुआ इसके बाद पूरे देश की निगाहें बंगाल और आयोग पर है। क्योंकि हिंसा की वजह से आयोग ने चुनावी इतिहास में पहली बार 19 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिए। साथ ही दो शीर्ष अधिकारियों समेत चार अफसरों को हटा दिया। परंतु, देखा जा रहा है कि बावजूद इसके मतदान से एक दिन पहले भी दक्षिण 24 परगना जिले में हमले की खबर है। इस चरण में नौ सीटों पर मतदान होना है। यह चरण ममता बनर्जी के लिए काफी अहम है, क्योंकि, इन्हीं क्षेत्रों से तृणमूल का जन्म हुआ है और 2014 में इन सभी नौ सीटों पर ही तृणमूल का कब्जा था। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जादवपुर, डायमंड हार्बर, जयनगर (एससी) और मथुरापुर (एससी) शामिल है, जहां 1,49,63,064 मतदाता 111 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी में नंबर दो माने जा रहे मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा के निलांजन रॉय हैं। माकपा ने इस सीट से फुआद हलिम को टिकट दिया है और कांग्रेस ने सौम्या रॉय को मैदान में उतारा है। उधर 2014 में इन सीटों पर भाजपा की वोट प्रतिशत बढ़ा था। यह देखते हुए इस बार भाजपा ने इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है जिसके चलते लड़ाई भाजपा बनाम तृणमूल की हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तक ने कई चुनावी सभाएं की है। इसके बाद से लड़ाई बहुत ही कांटे की हो चुकी है। आयोग ने इन सीटों के हर बूथ पर केंद्रीय बल तैनात किया है। तीन जिलों की नौ सीटों पर 710 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। देखना है कि अब आयोग हिंसा की चुनौती से कैसे निपटता है।

जरूरत से ज्यादा लंबी चुनाव प्रक्रिया

संजय गुप्त

यदि एक ही दिन मतदान हो तो नए-नए मुद्दे उछालकर चुनाव जीतने की कोशिश पर भी लगाम लगेगा और मतदाता उन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे जिन पर पहले से चर्चा हो रही हो

लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर का मतदान होने के साथ ही एक लंबी चुनावी प्रक्रिया का समापन होने जा रहा है। भारत के आम चुनाव दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। यह मिसाल कायम करने का श्रेय एक बड़ी हद तकनिर्वाचन आयोग को जाता है। बीते कुछ दशकों और खासकर टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से वह अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन करता चला आ रहा है। चुनावों के समय राजनीतिक दलों को उससे कुछ न कुछ शिकायतें रहती ही हैं। इस बार भी रहीं, लेकिन कुछ ज्यादा ही। भाजपा समेत करीब-करीब सभी दलों ने उसे आड़े हाथों लिया। विपक्षी दलों ने उस पर कुछ ज्यादा ही हमले किए। विपक्षी दलों ने उस पर ऐसे आरोप लगाए कि वह सरकार के दबाव में अथवा उसके इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने जब-जब प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी दलों की शिकायतों को खारिज किया तब-तब उनकी ओर से उस पर पक्षपात के आरोप मढ़े गए। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर आयोग को खास तौर पर निशाने पर लिया गया। यह अच्छा नहीं हुआ कि बंगाल में हर चरण के मतदान के समय हिंसा हुई। मतदान के आखिरी चरण के पहले जब कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में उपद्रव और आगजनी की गई और एक कालेज में घुसकर समाजसेवी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा खंडित कर दी गई तो चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए वहां चुनाव प्रचार की अवधि कम करने के साथ हिंसा रोक पाने में नाकाम कई अधिकारियों को हटा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो आयोग को कोसने में जुटी हीं, अन्य विपक्षी दल भी आयोग की आलोचना में मुखर हो गए।

तमाम आलोचना और निंदा के बाद भी चुनाव आयोग की प्रशंसा करनी होगी कि उसने इतनी लंबी और जटिल चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान उसने विभिन्न दलों के कई नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी। मतदान के आखिरी चरण की समाप्ति के साथ ही अब निगाहें चुनाव नतीजों पर होंगी। नतीजे घोषित होने के साथ ही कुछ दल ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से रोना रो सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही उसे संदिग्ध बताने का अभियान छेड़े हुए हैं। यह एक तथ्य है कि 21 राजनीतिक दल ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। चुनाव प्रक्रिया के बीच उन्होंने मांग की कि ईवीएम से निकलने वाली 50 प्रतिशत पर्चियों का मिलान किया जाए। दरअसल विपक्षी दल यह माहौल बनाना चाहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। यह कोशिश तब हो रही है जब हाल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की। साफ है कि विपक्षी दल यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनकी पराजय के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, न कि ईवीएम।

चुनाव के बीच ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर विपक्षी दलों ने कुल मिलाकर अपनी कमजोरी को ही प्रदर्शित किया। विपक्षी दल कुछ भी कहें, चुनाव आयोग ने भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में चुनाव प्रक्रिया को लगभग सफलतापूर्वक संपन्न कराकर एक उल्लेखनीय काम किया, लेकिन उसे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया से कैसे बचा जाए? चुनाव प्रक्रिया को छोटा करने का काम तभी हो सकता है जब मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के साथ ही चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को कम से कम किया जाए। ईवीएम ने एक बड़ी हद तक यही काम किया है। पता नहीं क्यों राजनीतिक दल यह समझने से इन्कार कर रहे हैं कि मतपत्र से चुनाव के जमाने में किस तरह धांधली होती थी और समय भी जाया होता था। आखिर राजनीतिक दल यह कैसे भूल सकते हैं कि एक समय मतपत्र लूटने और बूथों पर कब्जा करने की घटनाएं होती थीं। बिहार, बंगाल आदि राज्य इस तरह की घटनाओं के लिए ही जाने जाते थे। इस बार चुनावी हिंसा और धांधली की शिकायतें पश्चिम बंगाल में ही अधिक देखने को मिलीं। सच तो यह है कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य रह गया है जहां चुनावी हिंसा और धांधली पर लगाम लगती नहीं दिख रही है।

अवधेश राजपूत

चुनावों के समय यह देखने को मिलता है कि जिसको मौका मिलता है वही फर्जी वोटिंग कराने या मतदाताओं को धमकाने से पीछे नहीं रहता। चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ईवीएम में किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है जिससे मतदाता की पहचान के बिना बटन ही न दब सके। अगर सूचना तकनीक के इस दौर में हम ऐसी ईवीएम मशीन ईजाद कर पाएं जो मतदाता की पहचान जांचे बिना उसको वोट डालने से रोके तो इससे धांधली को रोकने में मदद मिलने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। आखिर मतदाता पहचान पत्र को आधार से क्यों नहीं लिंक किया जा सकता? इसमें कहीं कोई कठिनाई भी नहीं। ऐसा करके मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस गड़बड़ी के चलते कई लोग चाहकर भी मतदान नहीं कर पाते और मतदान प्रतिशत में कमी दर्ज होती है। लंबी चुनाव प्रक्रिया की एक खामी यह भी है कि इतना बड़ा देश डेढ़-दो माह तक केवल चुनावों में ही व्यस्त रहता है। आचार संहिता के कारण तमाम जरूरी काम अटक जाते हैं।

चुनाव प्रक्रिया इसलिए भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के लंबे दौर में राजनीतिक दल अलग-अलग मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। इस कारण चुनावी मुद्दों से जुड़ा विमर्श किस तरह बदलता रहता है, इसका एक उदाहरण यह है कि इस बार के चुनाव जब शुरू हुए थे तो बालाकोट हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा बड़े मुद्दे थे। विपक्ष और खासकर कांग्रेस राफेल सौदे की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए थी। बाद में राजीव गांधी के समय का बोफोर्स तोप सौदा और नौसेना के युद्धपोत में उनकी छुट्टियां एक मुद्दा बन गईं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की जाति और नाथूराम गोडसे को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। यह ठीक नहीं। चुनाव के दौरान मुद्दे बदलते रहने से असली मुद्दे पीछे छूटते हैं और मतदाताओं का ध्यान बंटता है। कई बार तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे किनारे ही हो जाते हैं। ऐसा होने पर मतदाताओं का एक वर्ग सतही मुद्दों के प्रभाव में आ जाता है और उसी आधार पर वोट करता है। यदि अमेरिका और कुछ अन्य देशों की तरह भारत में भी एक ही दिन मतदान हो तो नए-नए मुद्दे उछालकर चुनाव जीतने की कोशिश पर लगाम लगेगी और मतदाता उन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे जिन पर पहले से चर्चा हो रही थी। चुनाव प्रक्रिया को छोटा करने के साथ ही उसकी जटिलता को भी दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जटिल और समय खपाऊ मतदान प्रक्रिया के कारण कई लोग वोट देने से बचते हैं। बेहतर होगा कि इस बात को गंभीरता से समझा जाए कि चुनाव प्रक्रिया छोटी होने से देश का समय भी बचेगा और संसाधन भी।

response@jagran.com

सियासत से साहित्य की ओर

संतोष त्रिवेदी

लिखने का क्या है, वह भी हो जाएगा। वसंत, फागुन, होली, चमेली न जाने कितने विषय भरे पड़े हैं

एक खालिस राजनीतिक समय में मेरा मन अचानक साहित्यिक होने के लिए मचल उठा। राजनीति में रहते हुए भी अपन हमेशा 'अराजक' रहे। कभी खुलकर नहीं आए। खुलने के अपने खतरे होते हैं। राजनीति में भी, साहित्य में भी। एकदम से खुलना कइयों को खलने लगता है। सत्ता और राजनीति में चुप रहकर ही रसपान किया जा सकता है। इससे किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। मैं यह मानता हूं कि मुखरता मूर्खता की पर्याय है। इधर आप मुखर हुए नहीं कि राजनीति और साहित्य दोनों आपसे मुकरने लगते हैं। जबकि चुप्पी साधकर दोनों हाथों से लड्डू खाए जा सकते हैं। एक स्थापित बुद्धिजीवी होने के नाते मैं उखड़ने का खतरा कभी नहीं मोल लेता। आज भी नहीं लूंगा। जब भी दुविधा में होता हूं, अंतर्मन की सुनता हूं। वह सदैव हमारी आत्मा का भला सोचता है। आज भी वह पुकार-पुकार कर कह रहा है कि मौका है, साहित्यिक हो जाओ।

हमने 'मन की बात' सुनी और साहित्य के सबसे बड़े पथ-प्रदर्शक से मिलने निकल पड़े। जब भी साहित्य मुख्यधारा से भटकने लगता है, वही सही दिशा पकड़ा देते हैं। कहते हैं उनके पास ऐसा 'दिशासूचक यंत्र' है जिससे वह अगली-पिछली सारी दिशाएं जान लेते हैं। वह पूरी तरह मौलिकता के पक्षधर हैं। अपनी तरह के इकलौते। यह बात उनके 'परिचय' से खुलती है। सोशल मीडिया की उनकी प्रोफाइल में साफ-साफ दर्ज है कि पचासी पुस्तकों के एकमात्र लेखक वही हैं। यह संख्या उनके संकोच का का नतीजा है। अन्यथा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इससे कहीं अधिक उनकी किताबें प्रकाशकों के यहां पड़ी हैं। किताबें इतनी परतों में दबी हैं कि छह की छह एक साथ विमोचित हो जाती हैं। कृपया इसे उनका रचनाकर्म ही समझें। उनकी किताबों को पढ़कर अभी तक किसी तरह की दुर्घटना की खबर भी नहीं आई है। साहित्य में उनका जबरदस्त आतंक है। सभी सम्मान उनके चरणों में गिरते हैं। वे उन सम्मानों को 'सम्मान' देने के लिए स्वयं गिर लेते हैं। इसे ही साहित्य में कला की संज्ञा दी गई है। वह हर हाल में साहित्य के साथ हैं। लोग नाहक आरोप लगाते हैं कि वह राजनीति से बचते हैं। सच तो यह है कि वह साहित्य में अब तक इसीलिए बचे हुए हैं। शायद वह हमारा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा उनके हावभाव देखकर लगा। हम उनके चरणों को श्रद्धापूर्वक ताक ही रहे थे कि वे हमारी मंशा भांप गए। हमें गिरने से बचा लिया। संभव है कि वह कोई प्रतियोगिता न चाहते हों। हमने उनसे गले लिपटकर क्षतिपूर्ति कर ली। हम कुछ बोलते, इससे पहले ही वह शुरू हो गए।

'वत्स, साहित्य को तुम जैसे युवाओं की सख्त जरूरत है। हम अकेले कब तक इसे चरते रहेंगे! कहां राजनीति में फंसे हो, इधर आ जाओ। वहां बहुत कीचड़ है। साहित्य को हम उससे आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग कीचड़ वहां से ले आए हैं। हम राजनीति से क्यों उधार लें जब तमाम कीचड़ साहित्य में हम स्वयं उपलब्ध करा रहे हैं। तुम राजनीति में क्या हासिल कर पाए अब तक? साहित्य में रहोगे तो आजीवन 'संभावनाशील' तो बने रहोगे।' इतना कहकर वह हमारी ओर ताकने लगे। 'नहीं गुरुदेव, हमें तो साहित्य का 'क-ख-ग' भी नहीं आता। हम यहां क्या करेंगे? राजनीति में चाहे कुछ करना आता हो या नहीं, बस पुराने मुद्दे उछालने पर ही उबाल आ जाता है। साहित्य में तो ग्रंथ लिखना पड़ता है। अब आप को ही देखिए, किताबों का शतक मारने के करीब हैं। यह हमसे न हो पाएगा प्रभु!'

वह तुरंत हमारे कंधे पर हाथ रखकर बोले-'बेटा, तुम्हें साहित्य की कुछ भी समझ नहीं है। तुम क्या जानते हो कि इतना लिखकर मैं टिका हुआ हूं! लिखना और बने रहना दोनों अलग बातें हैं। साहित्य में वही जीवित नहीं है जो लिखता है। यहां जो दिखता है, वही टिकता है। लिखने का क्या है, वह भी हो जाएगा। वसंत, फागुन, होली, चमेली न जाने कितने विषय भरे पड़े हैं। एक-दो किताबें घसीट दो बस। बाद में उन्हीं को 'रीसाइकिल' करते रहना। एक बार साहित्य में तुम घुस गए तो मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दस प्रतियों के संस्करण को भी 'बेस्टसेलर' बनवा दूंगा। मुझे तुम पर अधिक भरोसा है, क्योंकि राजनीति में तुम्हारी 'डिलिवरी' देख चुका हूं। तुम अच्छी तरह दीक्षित हो। साहित्य में ऐसे 'पीस' आजकल मिलते कहां हैं! मंच, समारोह, विमोचन, विमर्श सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक साथ इतनी संभावनाएं राजनीति में नहीं हैं। गिरने की कला में तुम हमसे भी निपुण हो। हमारे बाद साहित्य के असली वारिस तुम्हीं हो। यहां रहोगे तो तुम पर शोध होंगे। राजनीति में रहोगे तो पचास साल बाद भी 'प्रतिशोध' के पात्र बनोगे। इसलिए आओ, अंधेरे से उजाले की ओर चलें।' हमारे चक्षु खुल चुके थे। साहित्य की सत्ता हमारे आलिंगन के लिए बेकरार हो रही थी।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

1951 से 2019 के बीच भारत में मतदान केंद्रों की संख्या

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग

ऊर्जा

दुख का अंत

मनुष्य इस भौतिक जगत में तमाम दुख, तकलीफों को स्वयं पर ओढ़े हुए है। उनसे छूटने का प्रयास तो वह बहुत करता है, लेकिन जीवन में प्रविष्ट हो चुके दुख व तकलीफ आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। उसकी स्वाभाविक मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई है। हर चेहरा उदास, गमगीन व चिंतित दिखाई पड़ता है। वह हंसने का प्रयास तो करता है, लेकिन बनावटी हंसी उसकी पोल खोल देती है। अब हंसने का कोई कारण तो होना चाहिए। ये दुख और तकलीफ मनुष्य के जीवन में क्यों हैं। सर्वप्रथम दुखों के मूल कारण को जानना होगा, तत्पश्चात उनसे छूटने के उपायों पर विचार करना होगा। अविद्या से उत्पन्न अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। इसी अविद्या रूपी अंधकार के कारण हम बार-बार इस जगत रूपी दुखालय में आकर फंस जाते हैं। हमें सत्य दिखाई नहीं पड़ता। इस दृश्यमान जगत को ही सत्य मानकर उसको पकड़ लेने की चेष्टा करना ही दुखों के भंवरजाल में फंसने का कारण बन जाता है। सांसारिक चकाचौंध और भौतिकता के इस साम्राज्य में अपने निज स्वरूप को मनुष्य भुला बैठा है।

आज दृश्यमान भौतिक जगत रूपी छाया सदृश माया को पकड़ लेने की होड़ मची है। परिणाम दुख व तकलीफ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाहरी चमक-दमक हमें इंद्रिय लोलुप बना रही है। आज ऐसी सोच स्थापित हो गई है कि किसी प्रकार से भी भौतिक साधन संपन्न बनकर इंद्रिय सुख का भरपूर भोग करने में सक्षम हो जाया जाए। इंद्रियों को किस प्रकार तृप्त किया जाए, बस इसी को प्रधानता प्रदान कर दी गई है। भौतिक संसाधनों से इंद्रिय सुख प्राप्त कर लेने की यह लालसा जीव को दुखों की ओर धकेलती है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस अविद्या रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश में रास्ता तलाशना होगा। हमें मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता पर विचार करना होगा। यह भी विचार करना होगा कि यह प्राप्त मानव जीवन बहुमूल्य है। इस सतत परिवर्तनशील विनाशी जगत को पकड़ लेने की अभिलाषा का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। इस प्राप्त मानव जीवन को परमेश्वर की भक्ति करने तथा तत्वज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर करना चाहिए।

अशोक वाजपेयी

कृत्रिम डीएनए से नया जीवाणु

मुकुल व्यास

वैज्ञानिकों की इस खोज से चिकित्सीय उपयोग के लिए नए किस्म के जीवाणु तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है

वैज्ञानिकों ने कृत्रिम और संशोधित डीएनए को लेकर दुनिया के पहले जीवाणु की रचना की है। यह जीवाणु मिट्टी और मनुष्य की आंतों में पाए जाने बैक्टीरिया की एक किस्म है। संरचना के लिहाज से यह जीवाणु अपने कुदरती रिश्तेदारों जैसा ही है, लेकिन इसकी खासियत है कि इसे बहुत कम आनुवंशिक निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है। इस जीवाणु का अस्तित्व यह साबित करता है कि सीमित आनुवंशिक कोड के साथ भी जीवन पनप सकता है। नए जीवाणु का नाम 'सिन61' रखा गया है। दो साल के प्रयासों के बाद ई-कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को पढ़ने और उसे नए सिरे से डिजाइन करने में कामयाब रहे। इसके पश्चात उन्होंने संशोधित जीन-समूह (जीनोम) के सिंथेटिक रूप के साथ कोशिकाओं की रचना की।

कृत्रिम जीन-समूह में चालीस लाख बेस पेयर हैं। आनुवंशिक कोड की ये इकाइयां 'जी', 'ए', 'टी' और 'सी' अक्षरों के रूप में जानी जाती हैं। यदि 'ए 4' साइज के पेपर पर इस कोड को छापा जाए तो 970 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ेगी। यह जीन-समूह अब तक बनाए गए जीन-समूहों में सबसे बड़ा है। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक जेसन चिन ने कहा कि पहले यह एकदम अस्पष्ट था कि क्या इतना बड़ा जीन-समूह निर्मित किया जा सकता है और क्या उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जा सकता है।

कोशिका के अंदर कुंडली के रूप में मौजूद डीएनए में वे सारे निर्देश होते हैं जो कोशिका के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोशिका को विकसित होने के लिए अधिक प्रोटीन चाहिए तब वह डीएनए के भाग को पढ़ती है जिसमें सही प्रोटीन कूटबद्ध होता है। डीएनए के अक्षर 'कोडोन' के रूप में पढ़े जाते हैं। कोडोन आनुवंशिक कोड की एक इकाई है जिसमें तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जेलीफिश से लेकर मनुष्य तक सभी जीव 64 कोडोन का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर 61 कोडोन 20 कुदरती एमिनो एसिड निर्मित करते हैं। तीन कोडोन रुकने का संकेत देते हैं। वे कोशिका को प्रोटीन बन जाने पर रुकने के लिए कहते हैं। उनकी भूमिका एक वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम जैसी है।

कैंब्रिज की टीम ने ई-कोलाई के जीन-समूह को संशोधित करने के लिए उसके कुछ फालतू कोडोन को हटाने का निश्चय किया। डीएनए में जहां भी 'टीजीसी' दिखाई दिया उन्होंने उसे 'एजीसी' में बदल दिया। ये दोनों कोडोन सेरिन नामक एमिनो एसिड बनाते हैं। शोधकर्ताओं ने इसी तरह से दो और कोडोन बदले। अनेक प्रयासों के बाद वे जीवाणु के आनुवंशिक कोड को संशोधित करने में सफल रहे। संशोधित कोड को रासायनिक रूप से निर्मित करने के बाद उसके हिस्से ई-कोलाई बैक्टीरिया में मिलाए गए जहां उन्होंने जीवाणु के कुदरती जीन-समूह की जगह ले ली। कृत्रिम जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने कैंब्रिज की टीम की उपलब्धि को मील का पत्थर बताया है। इस जीवाणु की रचना से चिकित्सीय उपयोग के लिए नए किस्म के जीवाणु तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह के जीवाणुओं का उपयोग नए प्रोटीन, दवाएं और उत्प्रेरक बनाने या वायरस-प्रतिरोध के लिए किया सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

आशियाना और चुनावी किस्मत

इस चुनावी समर के नतीजे आने में अब चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल समेत तमाम पार्टियों के कई सांसदों को वोटिंग के हिसाब से अपनी जीत-हार का अनुमान हो गया है। इसलिए जनता की परीक्षा में पास नहीं होने की आशंका से परेशान कुछ सांसद चुनाव बाद दिल्ली का चक्कर भी लगा गए हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता घर से बेघर होने को लेकर है। चुनाव हारने की स्थिति में उन्हें अपना सरकारी बंगला या फ्लैट खाली करना होगा। इनमें कई ऐसे हैं जिनके बच्चे यहां के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। नई लोकसभा के गठन के बाद हारने वाले पूर्व सांसदों को महीने-दो महीने के भीतर घर खाली करना है। तब सत्ता का तराजू किस करवट बैठेगा इस पर निगाह रखने के बावजूद कुछ सांसदों ने तो दिल्ली के प्रमुख रिहाइशी इलाकों में मकान-फ्लैट की तलाश शुरू कर दी है। चुनावी किस्मत पर मंडराते निराशा के बादल के बीच नया आशियाना तलाशने की यह जद्दोजहद जाहिर तौर पर ऐसे माननीयों के लिए दोहरी मुसीबत बन रही है।

अफसरों की उत्कंठा

पिछले डेढ़ महीने से मंत्रालयों में व्याप्त सन्नाटा अब कुछ कुछ दूर होता दिखाई देने लगा है। मंत्रियों के चुनावी दौरों में व्यस्त होने के कारण जो अफसर और कर्मचारी अभी तक निश्चिंत थे, उन्हें अब 23 मई के बाद की चिंता सताने लगी है। छुट्टियों का मूड अब काम की ओर उन्मुख होने लगा है। परियोजनाओं की बंद पड़ी फाइलें फिर से खोली जाने के साथ बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। तैयारियां दोनो हिसाब से हैं। यदि यही सरकार वापस आती है तो किन-किन चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी है। और यदि नए हुक्मरानों से पाला पड़ता है तो किन प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है और किन नए क्षेत्रों पर फोकस हो सकता है। लेकिन जहां उच्च अधिकारी इन तैयारियों में व्यस्त हैं, वहीं अनेक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि बदलाव की स्थिति में उन्हें कहां फेंका जा सकता है। इसलिए वे अपने वरिष्ठों के साथ रिश्तों का गणित सुधारने में जुट गए हैं, ताकि ट्रांसफर की स्थिति में भी माकूल जगहों पर पोस्टिंग कराई जा सके। कुल मिलाकर अफसर बड़ी बेसब्री से चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।

नतीजों पर उद्योग जगत की बेसब्र नजर

इस समय जब नेताओं और नौकरशाहों के साथ ही देश-दुनिया की नजर चुनावी नतीजों पर लगी है तो भला इसमें उद्योग जगत कैसे अपवाद हो सकता है। उद्योग जगत से जुड़े लोग खुलकर अभी अपने अनुमान भी बताने को तैयार नहीं हैं। पूछने पर कॉरपोरेट सेक्टर के ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उनकी भविष्य की रणनीति इन नतीजों पर ही टिकी है। अलबत्ता एक बात पर सभी एकमत हैं कि केंद्र में मजबूत और स्थायी सरकार बननी चाहिए। इसी बिंदु पर विकास की रफ्तार सुनिश्चित होगी। उद्योग संगठनों ने भी इसी इंतजार में नई सरकार से किए जाने वाले प्रस्तावों की तैयारी को विराम दे रखा है। अब देखना यही है कि चुनाव के बाद सत्ता का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा।

खुलने लगी संवेदनशील फाइलें

चुनाव नतीजे आने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआइ में अधिकारियों ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील फाइलों को फिर से खंगालना शुरू कर दिया है। कुछ बड़े अधिकारी यह कहते हुए सुने गए कि नई सरकार आने के तत्काल बाद कई हाईप्रोफाइल आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो सकती है। उनके अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ दुनिया के कई देशों से पुख्ता सुबूत जुटा लिए गए हैं। कुछ आरोपी अदालत से अग्रिम जमानत लेकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों ने अब उनके खिलाफ सख्ती से पेश आने का मन बना लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अग्रिम जमानत पर घूम रहे आरोपियों पर शिकंजा कसने करने के लिए अदालती लड़ाई की भी तैयारी की जा रही है। उनके अनुसार चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में एजेंसियां हाईप्रोफाइल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी, केवल उन्हीं मामलों को छेड़ा जा रहा था, जिनमें कार्रवाई करना कानूनन जरूरी था।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली काया 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवा रक्त।